राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4600/2019

उमेश चन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.12.2019
आदेश की दिनांक : 13.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.1999 एवं 26.08.2019 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा वर्ष 1995–96 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाई जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी आयुर्वेद कम्पाउंडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, वजीरपुर सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि वर्ष 1995–96 में अपीलार्थी की एपीएआर भरी गई और लगभग सभी कॉलम में सेटिसफेक्ट्री भरा गया, परंतु आखिरी कॉलम में यह रिमार्क किया गया कि अपीलार्थी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में रूचि नही ली है और न ही ऐसा कोई मामला किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 16.04.2004 जारी किया गया, जिसमें यह कथन किया गया कि कोई भी अधिकारी परिवार नियोजन के आधार पर कार्मिकों की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की

जावे। अपीलार्थी ने दिनांक 29.11.1996 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम में रूचि ली है परंतु संबंधित अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31.05.1999 के द्वारा अभ्यावेदन खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ एक वर्ष के लिये डेफर करते हुये वर्ष 2002 में स्वीकृत किया गया और 10 वर्ष पश्चात् द्वितीय चयनित वेतनमान 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वर्ष 2010 से स्वीकृत किया गया तथा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान दिये जाने के संबंध में विभाग द्वारा पत्र दिनांक 10.07.2019 के द्वारा यह कहा गया कि वर्ष 1995–96 की एसीआर में कुप्रविष्टि होने से प्रथम एसीपी एक वर्ष बाद वर्ष 2002 से स्वीकृत की गई लेकिन द्वितीय एसीपी वर्ष 2010 से स्वीकृत की गई जो वर्ष 2011 से स्वीकृत की जानी है और जिसके कारण अपीलार्थी से वसूली आदेश जारी कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.1999 एवं 26.08.2019 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे तथा वर्ष 1995–96 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में कोई रूचि नहीं दिखाई है, जिसके संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 28.10.1996 को सूचित किया गया और अपीलार्थी ने दिनांक 28.10.1996 एवं 29.11.1996 को जवाब प्रस्तुत किया परंतु पत्र दिनांक 31.05.1999 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया और एपीएआर में वर्ष 1995–96 के विरूद्ध कुप्रविष्टि दर्ज की गई जो नियमानुसार उचित एवं सही है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है। इस प्रकार अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी आयुर्वेद कम्पाउंडर के पद पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय, वजीरपुर सवाई माधोपुर में कार्यरत है। वर्ष 1995–96 में अपीलार्थी की एपीएआर भरी गई

जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई। जहां तक वर्ष 1995–96 की एपीएआर में अपीलार्थी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में रूचि नहीं लेने के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की उक्त वर्ष की एपीएआर में कुप्रविष्टि दर्ज किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के वर्ष 1995–96 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम में नसबंदी केस नहीं करवाये जाने के कारण उक्त एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की गई है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र दिनांक 16.04.2004 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि *''वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में मात्र परिवार कल्याण (नसबंदी) केसेज को आधार मानकर प्रविष्टियां कर दी जाती है जो उचित नहीं है।''*

इस अधिकरण को वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने या संशोधन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है परंतु इन प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर किसी लोक सेवक का देय सेवा परिलाभों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सम्बन्ध में विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस अपील में अपीलार्थी के वर्ष 1995–96 में परिवार कल्याण कार्यक्रम में नसबंदी के केस नहीं कराने के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि की गई है। जिस आधार पर अपीलार्थी को देय द्वितीय चयनित वेतनमान को एक वर्ष के लिए स्थगित करने एवं वसूली करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 26.08.2019 प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया। अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 31.05.1999 (अनुलग्नक–4) को अपास्त करने का निवेदन किया, जिसमें वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 में प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह विषय अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे होने से इस हद तक चाहा गया अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।

अपील में आदेश दिनांक 26.05.2019 (अनुलग्नक–6) को अपास्त करने का भी अनुतोष चाहा गया है। इसमें अपीलार्थी के वर्ष 1995–96 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टी के आधार पर देय 18 वर्षीय द्वितीय एसीपी को पूर्व में दिनांक 09.03.2010 से स्वीकृत किया गया है, के स्थान पर दिनांक 09.03.2011 से स्वीकृत करने एवं पूर्व में जारी स्वीकृति से किए गये अधिक भुगतान को वसूली हेतु आदेशित किया गया है। विचारणीय प्रश्न यह है कि इस प्रतिकूल प्रविष्टी का प्रभाव अपीलार्थी को देय द्वितीय एसीपी पर पड़ेगा। प्रत्यर्थी विभाग ने परिपत्र दिनांक 16.04.2004 में यह स्पष्ट किया गया है कि मात्र परिवार कल्याण

(नसबन्दी) केसेज के आधार पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्टियां करना उचित नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने SBCWP No. 804/2016 केदार मल मीणा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम लालाराम 2002(1) WLC (Raj) 189 में डीबी द्वारा पारित निर्णय के आधार पर निम्न निर्णय पारित किया है :–

> *"Indisputably, in the instant case non-fulfillment of target of recovery in achieving the benchmark by the petitioner in itself could not constitute a misconduct under the Conduct Rules, 1971 and no other allegation is levelled against the petitioner, except in failing to achieve the target of recovery.*
>
> *In the light of the judgment of the Division Bench of this Court, referred to supra, the order inflicting penalty upon the petitioner and so also the order of appeal passed by the authority are not sustainable in law and deserves to the quashed.*
>
> *Consequently, the writ petition succeeds & is hereby allowed. The order of punishment dt.16.04.2012 and the order passed by the appellate authority dt. 18.11.2014 are quashed & set aside and the petitioner shall be entitled to all consequential benefits."*

वित्त विभाग द्वारा एसीपी स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जारी आदेशों को 18 वर्ष की सेवा पर देय द्वितीय एसीपी हेतु सेवाकाल की गणना प्रथम नियुक्ति तिथी से की जायेगी न कि प्रथम एसीपी की स्वीकृति की तिथी से आगे के 9 वर्ष की गणना की जायेगी। साथ ही यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक ही कारण/आधार पर दो बार प्रभाव नहीं दिया जा सकता।

अतः उपर्युक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.2019 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के वर्ष 1995–96 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों को नजरअन्दाज किया जाकर अपीलार्थी को देय चयनित वेतनमान/एसीपी उसकी नियमित नियुक्ति से सेवाकाल की गणना कर स्वीकार की जावे। यदि अपीलार्थी से इस सम्बन्ध में कोई वसूली की गई हो तो उसे नियमानुसार वापिस लौटाई जावे। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.03.2021 की पुष्टि (confirm) की

जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही 3 माह में सम्पादित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य